आयोजनेत्तर

संख्या–658/ III (2)/05–22 (बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो.नि.वि. देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 मई,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में राजभवन देहरादून एवं नैनीताल के सरकारी रिहायशी भवनों हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 151/86(बजट)/05–06 दिनांक 08.04.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में राजभवन, देहरादून/नैनीताल के रिहायशी भवनो हेतु आयोजनेत्तर मद मे प्राविधानित धनराशि संलग्न विवरणानुसार रू0 29.70 लाख **(रूपये उन्नतीस लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यथा आवश्यकता उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा,जो विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुरूप हो और अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार निर्गत शासनादेशो की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित नियमों के अर्न्तगत ही कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा । शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओ पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा, कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये,व्यय उन्ही मदो मे किया जायेगा । जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

5– उपकरणो/सामग्रियो का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी.की दर अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगें ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31.03.06 तक पूर्ण उपयोग कर बिन्दुवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

क्रमशः ....2......

8– व्यय उसी मद मे किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

9– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2216– आवास–01–सरकारी–रिहायशी भवन–700–अन्य आवास– 03–निर्माण (आयोजनेत्तर)–02 राजभवन (देहरादून / नैनीताल) – 00 (भारित) के अर्न्तगत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 – 228 /वित्त अनुभाग–3 / 05 दिनांक– 05.05.2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–658 (1) / III(2) / 05, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद / देहरादून।
2– सचिव श्री राज्यपाल,सचिवालय, देहरादून।
3– आयुक्त गढवाल / कुमायू मंडल, पौडी / नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी ,उत्तरांचल।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल / कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी / अल्मोड़ा।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
7– निजी सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु।
8– वित्त अनुभाग–3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तरांचल शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0– 658/ III–2/05–22 (बजट)/05 दिनांक 27/5/2005 का संलग्नक।

अनुदान संख्या– 22
2216– आवास–राजभवन (देहरादून एवं नैनीताल)
(आयोजनेत्तर)
2216–01–700–03–02(भारित)

कम संख्या	विवरण	आबंटन (हजार रू0 मे)
01	08 कार्यालय व्यय	900
02	09 विधुत देय	390
03	10 जलकर /जल प्रभार	280
04	25 लघु निर्माण कार्य	600
05	29 अनुरक्षण	800
	योगः–	**2970**

(रू0 उन्नतीस लाख सत्तर हजार मात्र)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।